



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-30012023-243283

CG-DL-W-30012023-243283

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 2]

नई दिल्ली, जनवरी 15—जनवरी 21, 2023, शनिवार/पौष 25—माघ 1, 1944

No. 2]

NEW DELHI, JANUARY 15—JANUARY 21, 2023, SATURDAY/PAUSHA 25—MAGHA 1, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग)

नई दिल्ली, 18 जनवरी 2023

सा.का.नि. 50.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, के उन्नत प्रौद्योगिकी पोत कार्यक्रम में, अग्नि इंजन चालक (विशेष श्रेणी) के पद/पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास, उन्नत प्रौद्योगिकी पोत कार्यक्रम, अग्नि इंजन चालक (विशेष श्रेणी) (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम 2022 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर : उक्त पद/पदों की संख्या, उसका/उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका/उनका स्तर या वेतनमान वह होगा/वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :** उक्त पद/पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे/उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद/पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण/आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अग्नि इंजन चालक (विशेष श्रेणी)	01* (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (35400-112400 ₹)	अचयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेदन किया जाएगा।
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा।	जिन्होंने, अग्नि इंजन चालक श्रेणी-1, वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 ₹) में उस श्रेणी में छह वर्षों की नियमित सेवा की हो और अग्नि शमन साधित्र के प्रचालन पर दो सप्ताह का आज्ञापक आंतरिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो

	वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे – 1. पोत निर्माण केन्द्र के उप महाप्रबंधक जो कैप्टन (भारतीय नौसेना) की श्रेणी के नीचे का न हो - अध्यक्ष ; 2. पोत निर्माण केन्द्र के प्रबंधक जो कमांडर (भारतीय नौसेना) की श्रेणी के नीचे का न हो - सदस्य ; 3. उप प्रबंधक जो उन्नत प्रौद्योगिकी पोत कार्यक्रम मुख्यालय के किसी कार्य केन्द्र के लेफ्टीनेंट कमांडर (भारतीय नौसेना) की श्रेणी के नीचे का न हो और ऐसी सेवा से नहीं होना चाहिए जिसके लिए विभागीय प्रोन्नति समिति संचालित की गई हो - सदस्य। विभागीय पुष्टि समिति – 1. पोत निर्माण केन्द्र के प्रबंधक जो कमांडर (भारतीय नौसेना) की श्रेणी के नीचे का न हो - अध्यक्ष ; 2. पोत निर्माण केन्द्र के उप प्रबंधक जो लेफ्टीनेंट कमांडर (भारतीय नौसेना) की श्रेणी के नीचे का न हो - सदस्य ; 3. सहायक प्रबंधक, जो उन्नत प्रौद्योगिकी पोत कार्यक्रम मुख्यालय के किसी कार्य केन्द्र के लेफ्टीनेंट (भारतीय नौसेना) की श्रेणी के नीचे का न हो और ऐसी सेवा से नहीं होना चाहिए जिसके लिए विभागीय पुष्टि समिति संचालित की गई हो - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 1/एम/007/04/एटीवीपी/पर्स/61/डी(आर एण्ड डी)]

हर्षा रानी, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE
(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 18th January, 2023

S.R.O. 50.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Fire Engine Driver (Special Grade) in Advanced Technology Vessels Programme, Department of Defence Research and Development, Ministry of Defence, namely: -

1. Short title and commencement. --

- (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Research and Development, Advanced Technology Vessels Programme, Fire Engine Driver (Special Grade) (Group 'B' post) Recruitment Rules 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and pay level in the pay matrix.** -- The number of post, its classification and the level in the Pay matrix attached thereto, shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.** -- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** -- No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax.** -- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** -- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-Servicemen and the other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection post or Non Selection Post	Age limit for Direct Recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fire Engine Driver (Special Grade)	01 (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Non Ministerial, Non-Gazetted, Group 'B'	Level- 6 (Rs. 35400 – 112400/-) in the Pay Matrix	Non Selection	Not Applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Not Applicable	Not applicable	Two years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(10)	(11)
Promotion	Fire Engine Driver Grade-I in Pay Level-5 of Pay Matrix (Rs. 29200 – 92300/-) with six years of regular service in the grade and having successfully completed mandatory internal training of two weeks on operation of fire fighting appliances.

	Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee: 1. Deputy General Manager of Ship Building Centre not below the rank of Captain (Indian Navy) – Chairman ; 2. Manager of Ship Building Centre not below the rank of Commander (Indian Navy) – Member ; 3. Deputy Manager not below the rank of Lieutenant Commander (Indian Navy) from any of the work centres of Headquarter Advanced Technology Vessels Programme and not from the service for which the Departmental Promotion Committee is being conducted – Member . Departmental Confirmation Committee: 1. Manager of Ship Building Centre not below the rank of Commander (Indian Navy) – Chairman ; 2. Deputy Manager of Ship Building Centre not below the rank of Lieutenant Commander (Indian Navy) – Member ; 3. Assistant Manager not below the rank of Lieutenant (Indian Navy) from any of the work centres of Headquarter Advanced Technology Vessels Programme and not from the service for which the Departmental Confirmation Committee is being conducted – Member .	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 1/M/007/04/ATVP/Pers/61/D(R&D)]

HARSHA RANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2023

का.नि.आ..51.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा मंत्रालय, सिगनल्स आसूचना निदेशालय, एकीकृत रक्षा कर्मचारिवृंद मुख्यालय (विदेशी भाषा उप सलाहकार, विदेशी भाषा परीक्षक और अनुवादक) भर्ती नियम, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, एकीकृत रक्षा कर्मचारिवृंद मुख्यालय, सिगनल्स आसूचना निदेशालय में विदेशी भाषा उप सलाहकार, विदेशी भाषा परीक्षक और अनुवादक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सिगनल्स आसूचना निदेशालय, एकीकृत रक्षा कर्मचारिवृंद मुख्यालय (विदेशी भाषा उप सलाहकार, विदेशी भाषा परीक्षक और अनुवादक) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अर्हताएं, आदि -** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता -** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
विदेशी भाषा उप सलाहकार	2* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (रु०78800-209200)

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(5)	(6)	(7)
चयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नति:

वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (रु० 67700-208700) में ऐसा विदेशी भाषा परीक्षक जिसने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो और कर्तव्यों के लिए सुसंगत कार्य के क्षेत्र में रक्षा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित 2 सप्ताह से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी संगठनों या स्वायत्त संगठनों या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी :-

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (रु० 67700-208700) या समतुल्य के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की हो; और

(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों:-

आवश्यक:

(अ) (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबन्धित विदेशी भाषा में बैचलर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो;

या

(ख)(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री जिसमें अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; और

(ii) भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से संबन्धित विदेशी भाषा में मानक दुभाषियापन या अनुवाद में डिप्लोमा।

(आ) अध्यापन और/या, अंग्रेजी से संबन्धित विदेशी भाषा में अनुवाद एवं विपर्ययन में दस वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 2: संबन्धित विदेशी भाषा भर्ती के समय विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

टिप्पण 3: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय - सदस्य; 3. रक्षा मंत्रालय में प्रशासनिक रूप से संबद्ध संयुक्त सचिव - सदस्य; 4. सिगनल्स आसूचना निदेशालय, सामान्य कर्मचारिवृन्द शाखा, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना) से ब्रिगेडियर या समतुल्य प्रास्थिति का अधिकारी - सदस्य.	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर किसी अधिकारी की नियुक्ति के समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
विदेशी भाषा परीक्षक	6* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (रु० 67700-208700)

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(5)	(6)
चयन पद	40 वर्ष से अनधिक। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(7)
अर्हताएं : आवश्यक अर्हताएं : (अ) (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबन्धित विदेशी भाषा में बैचलर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो, या (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री जिसमें अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; और

(ii) भारत सरकार द्वारा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबन्धित विदेशी भाषा में मानक दुभाषियापन या अनुवाद में डिप्लोमा।

वांछनीय अर्हताएं:

अध्यापन और/या, अंग्रेजी से संबंधित विदेशी भाषा में अनुवाद एवं विपर्ययन में पाँच वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: संबन्धित विदेशी भाषा भर्ती के समय विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

टिप्पण 2: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 3: अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।	(i) 67 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा। (ii) 33 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नति:

वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (रु० 56100-177500) में ऐसा अनुवादक जिसने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो और कर्तव्यों के लिए सुसंगत कार्य के क्षेत्र में रक्षा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित 2 सप्ताह से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी संगठनों या स्वायत्त संगठनों या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी :-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों, या
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (रु० 56100-177500) या समतुल्य के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की हो; और

(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो :-

आवश्यक:

(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबन्धित विदेशी भाषा में बैचलर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो, या

(ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री जिसमें अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; और

(ii) भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से संबन्धित विदेशी भाषा में मानक दुभाषियापन या अनुवाद में डिप्लोमा।

(ग) अध्यापन और, या, अंग्रेजी से संबन्धित विदेशी भाषा में अनुवाद और विपर्ययन में पाँच वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- - संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष; - निदेशक, संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय - सदस्य; - सिगनल्स आसूचना निदेशालय, सामान्य कर्मचारिवृन्द शाखा, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना) से निदेशक या समतुल्य प्रास्थिति का अधिकारी - सदस्य; समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- - संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष; - निदेशक, संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय - सदस्य; - सिगनल्स आसूचना निदेशालय, सामान्य कर्मचारिवृन्द शाखा, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना) से निदेशक या समतुल्य प्रास्थिति का अधिकारी - सदस्य।	किसी अधिकारी की सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति करने के समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
अनुवादक	8* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (रु० 56100-177500)

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(5)	(6)
लागू नहीं होता	35 वर्ष से अतधिक। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(7)
अर्हताएं : आवश्यक अर्हताएं : (अ) (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबन्धित विदेशी भाषा में बैचलर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; या (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री जिसमें अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; और (ii) भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से संबन्धित विदेशी भाषा में मानक दुभाषियापन या अनुवाद में डिप्लोमा। वांछनीय अर्हताएं: अध्यापन और/या, अंग्रेजी से विदेशी भाषा में अनुवाद एवं विपर्ययन में तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: संबन्धित विदेशी भाषा भर्ती के समय विनिर्दिष्ट किया जाएगा। टिप्पण 2: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 3: अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिये बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या अर्धसरकारी या कानूनी अथवा स्वायत्त संगठनों के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के आधार पर भरी जा सकेगी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (रु० 47600-151100) या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 2 वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास अध्यापन या अँग्रेजी से विदेशी भाषा में अनुवाद एवं विपर्ययन में तीन वर्ष के अनुभव के साथ स्तम्भ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित शैक्षिक अर्हता हों।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. निदेशक, संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय - सदस्य; 3. सिगनल्स आसूचना निदेशालय, सामान्य कर्मचारिवृन्द शाखा, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना) से निदेशक या समतुल्य प्रास्थिति का अधिकारी - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए/33980/मुप्रअ/भर्ती-2]

जितेंद्र कुमार, निदेशक

New Delhi, the 20th January, 2023

S.R.O. 51.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Signal Intelligence Directorate, Integrated Defence Staff Headquarters (Deputy Foreign Language Adviser, Foreign Language Examiner and Translator) Recruitment Rules, 2017 except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Foreign Language Adviser, Foreign Language Examiner and Translator in Signal Intelligence Directorate, Integrated Defence Staff Headquarters, Ministry of Defence namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Signal Intelligence Directorate, Integrated Defence Staff Headquarters (Deputy Foreign Language Adviser, Foreign Language Examiner and Translator) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.- The number of the said posts, their classifications and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the Other Backward Classes and the other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Deputy Foreign Language Advisor.	02*(2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non Ministerial Gazetted Group, A	Level-12 (Rs 78800-209200/-) in the pay matrix

Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(5)	(6)	(7)	(8)
Selection post.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
------------------------------	---

(9)	(10)
Not applicable	Promotion failing which by deputation including short-term contract.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.

(11)

Promotion:

Foreign Language Examiner in Level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) with five years regular service in the grade and having successfully completed 2 weeks to 4 weeks training course in the area of work relevant to duties and responsibilities conducted by Defence Headquarters Training Institute.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short term contract):

Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories Administrations or Statutory Organisations or Autonomous Organisations or Public Sector Undertakings or Recognised Universities or Research Institutes:

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) Possessing the following educational qualifications and experience :

Essential :

(A) (a) Bachelors degree in the foreign language concerned with English as a compulsory or elective subject at degree level from a recognised University or Institute;

OR

(b) (i) Bachelors degree with English as a compulsory or elective subject from a recognised University or Institute; and

(ii) Diploma in Foreign Language concerned with interpretership or translation standard from a University or Institute recognised by Government of India;

(B) Ten years experience in teaching and/or translating relevant foreign language into English and *vice versa*.

Note 2: The relevant foreign language will be specified at the time of recruitment.

Note 3: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 4: The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract).
1. Chairman or Member, Union Public Service Commission.	– Chairman;
2. Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence.	– Member;
3. Joint Secretary administratively concerned in the Ministry of Defence.	– Member;
4. Officer of the status of Brigadier or equivalent from Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army), Signals Intelligence Directorate, General Staff Branch.	– Member.

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in the Pay Matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Foreign Language Examiner.	06*(2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non Ministerial Gazetted Group, A.	Level-11(Rs 67700-208700/-) in the pay matrix.

Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(5)	(6)
Selection post.	Not exceeding 40 years (relaxable for government servants upto five years in accordance with instructions or orders issue by Central Government). The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

Educational and other qualification required for direct recruits.
(7)
Qualification : Essential Qualification:- (a) Bachelors degree in the foreign language concerned with English as a compulsory or elective subject at degree level from a recognised University/Institute; OR (b) (i) Bachelors degree with English as a compulsory or elective subject from a recognised University or Institute; and (ii) Diploma in Foreign Language concerned with interpretership or translation standard from a University or Institute recognised by Government of India; Desirable: Five years experience in teaching and/or translating relevant foreign language into English and <i>vice versa</i>. Note 1: The relevant foreign language will be specified at the time of recruitment. Note 2: The Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 3: The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to scheduled castes or

scheduled tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation.
(8)	(9)
Not applicable.	One year for direct recruits.
Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	
(10)	
(i) 67 percent by promotion failing which by deputation (including short term contract).	
(ii) 33 percent by deputation (including short term contract) failing which by Direct Recruitment.	

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Promotion: Translator in the Level 10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) with five years regular service in the grade and successfully completed 2 weeks to 4 weeks training course in the area of work relevant to duties and responsibilities conducted by Defence Headquarters Training Institute. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories Administrations or Universities or Public Sector Undertaking or Recognised Research Institute or Autonomous or Statutory Organisations:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in post in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience :- Essential : (a) Bachelor degree in the foreign language concerned with English as a compulsory or elective subject at degree level from a recognised University; OR (b) (i) Bachelor degree with English as a compulsory or elective subject from a recognized University; and (ii) Diploma in Foreign Language concerned with interpretership or translation standard from a University or Institute recognized by the Government of India. (c) Five years experience in teaching and, or, translating foreign language into English and vice versa. Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 3: The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence – Chairman; 2. Director, Office of Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence – Member; 3. Officer of the status of Director or equivalent from Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army), Signals Intelligence Directorate, General Staff Branch – Member. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence – Chairman; 2. Director, Office of Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence – Member; 3. Officer of the status of Director or equivalent from Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army), Signals Intelligence Directorate, General Staff Branch – Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (including short term contract).

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in the Pay Matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Translator	08*(2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non Ministerial Gazetted, Group, A.	Level-10 (Rs 56100-177500) in the pay matrix.

Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(5)	(6)
Not applicable	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government Servant upto five years in accordance with instructions or orders issue by Central Government). The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Union Public Service Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.
(7)
Qualification: Essential Qualification:-

(a) Bachelor degree in the foreign language concerned with English as a compulsory or elective subject at degree level from a recognised University.

OR

(b) (i) Bachelor degree with English as a compulsory or elective subject from a recognised University or Institution, and

(ii) Diploma in Foreign Language concerned with interpretership or translation standard from a University or Institute recognized by Government of India.

Note 1: The relevant foreign language will be specified at the time of recruitment.

Note 2: The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 3: The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to scheduled castes or scheduled tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Desirable :

Experience: Three years experience in teaching and/or translating relevant foreign language into English and *vice versa*.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(8)	(9)
Not applicable.	One year for direct recruit.
Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
10	11
Direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of the year or more may be filled on deputation (Including Short Term Contract) basis from the officers of the Central or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or Recognised Research Institutes or Universities or Semi Government or Statutory or Autonomous organisations; (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) or equivalent; and (b) possessing the educational qualification prescribed for direct recruits under column (7) alongwith three years experience in teaching or translating foreign language into English and <i>vice versa</i> .	Not applicable
If a Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)

Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence. – Chairman; 2. Director, Office of Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence. – Member. 3. Officer of the status of Director or equivalent from Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army), Signals Intelligence Directorate, General Staff Branch – Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.
---	---

[F. No. A/33980/CAO/R-II]
JITENDRA KUMAR, Director